लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड–3, प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर
फोन नम्बर–0771.2331385,Email Id - cg.dpi.dir@gmail.com

———————————————————————————————————————

क्रमांक/सत./आर/VSK उप./180/2026/**1339** नवा रायपुर,दिनांक **12.11.2026**

//आदेश//

संचालनालयीन पत्र क्रमांक/एम.आई.एस/N-123/481 दिनांक 08.10.2026 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को Google sheet प्रेषित करते हुये उनके जिले में कार्यरत ऐसे शिक्षक/कर्मचारी जो VSK एप में अपनी उपस्थिति दर्ज नही कर रहे, की जानकारी उपरोक्त Google sheet में प्रविष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। पुनः संचालनालयीन पत्र क्रमांक/सत./आर/VSK उप./180/2026/1303 दिनांक 03.11.2026 के द्वारा उपरोक्त संबंध में स्मरण पत्र जारी किया गया। परन्तु उक्त कार्य अधोलिखित जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा पूर्ण नही किया गया है–

1. जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सरगुजा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला गरियाबंद।
5. जिला शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर–चांपा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बलरामपुर–रामानुजगंज।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला धमतरी।
9. जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरबा।
10. जिला शिक्षा अधिकारी जिला दुर्ग।
11. जिला शिक्षा अधिकारी जिला कबीरधाम।
12. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर।
13. जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुंगेली।
14. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा।
15. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालोद।
16. जिला शिक्षा अधिकारी जिला दन्तेवाड़ा।
17. जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर।

1/ संचालनालयीन पत्र क्रमांक/एम.आई.एस/N-123/484 दिनांक 16.10.2026 के माध्यम से समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों, छत्तीसगढ़ को जिले के अंतर्गत संचालित ऐसी शालाएं, जिनके एक भी कार्यरत कर्मचारी द्वारा VSK एप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है, से संबंधित जानकारी संलग्न Google sheet में प्रविष्ट किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। पुनः संचालनालयीन पत्र क्रमांक/सत./आर/VSK उप./180/2026/1310, दिनांक 04.11.2026 के माध्यम से तत्संबंध में स्मरण पत्र जारी किया गया। परन्तु उक्त कार्य अधोलिखित जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा पूर्ण नही किया गया है–

1. जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरबा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला गरियाबंद।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बलरामपुर–रामानुजगंज।
5. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सरगुजा।

6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला दन्तेवाड़ा।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर–चांपा।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर।
10. जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया।

2/ उपरोक्त कार्य किये जाने हेतु पत्र जारी करने तथा पर्याप्त समयावधि दिये जाने के बाबजूद भी निर्धारित समय में Google sheet में प्रविष्टि नही किये जाने का कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार है।

अतः प्रशासनिक कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप, अधोलिखित 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का माह नवम्बर–2026 का वेतन आगामी आदेश पर्यंत तत्काल प्रभाव से रोका जाता है–

1. जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सरगुजा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोण्डागांव।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला गरियाबंद।
5. जिला शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर–चांपा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बलरामपुर–रामानुजगंज।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला धमतरी।
9. जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरबा।
10. जिला शिक्षा अधिकारी जिला दुर्ग।
11. जिला शिक्षा अधिकारी जिला कबीरधाम।
12. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर।
13. जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुंगेली।
14. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा।
15. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालोद।
16. जिला शिक्षा अधिकारी जिला दन्तेवाड़ा।
17. जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर।
18. जिला शिक्षा अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर।
19. जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया।

संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. आयुक्त,समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, पेंशनबाड़ा,रायपुर।
3. संचालक कोष एवं लेखा, इंद्रावती भवन नवा रायपुर।
4. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग छ.ग.।
6. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
7. उप संचालक, स्थापना कक्ष–1 (ई/टी प्रकोष्ठ) स्थानीय ।
8. जिला शिक्षा शिक्षा अधिकारी,संबंधित जिला..... छ.ग.।
   की ओर सूचनार्थ।
9. गार्ड फाईल।